न्यायालयः– कु. प्रतिभा मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , नारायणपुर जिला–नारायणपुर (छ.ग.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक– 19/2023
संस्थित दिनांक–24.01.2023

हेमंत चंद्राकर पिता क्रांति नारायण चंद्राकर,
उम्र–50 वर्ष, निवासी–रामकृष्ण मिशन ।T।
तहसील व जिला– नारायणपुर, छ.ग. ....**परिवादी।**

//विरूद्ध//

हेमंत इल्वादी(सिविल इंजीनियर) पिता स्व. देशराज इल्वादी
उम्र– 56 वर्ष, निवासी– पुराना बस स्टैण्ड सोनी होटल के पीछे,
तहसील व जिला– नारायणपुर, छ.ग. ....**आरोपी।**

परिवादी द्वारा श्री जितेंद्र शुक्ला अधिवक्ता ।
आरोपी की ओर से श्री जे.एस. राठौर अधिवक्ता ।

//निर्णय//
(आज दिनांक – 07/04/2024 को घोषित)

01– आरोपी के विरुद्ध **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138** के तहत इस आशय का अभियोग है कि उसने दिनांक 28.11.2022 को पहला चेक क्र. –655988 तथा दिनांक– 06.12.2022 को दूसरा चेक क्र.– 656012 रकम 1,00,000–1,00,000/–रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा, नारायणपुर, छ.ग. को परिवादी को प्रदाय किया था, जिसे कि परिवादी द्वारा उक्त चेक अपने बैंक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.12.2022 के मेमो द्वारा **"CHQ UNSUABLE"** की टीप के साथ चेक का अनादरित कर मय ज्ञापन वापस प्राप्त हो गया, जिसकी विधिक सूचना परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से

दिनांक 15.12.2022 को समयावधि के अंदर प्रेषित कराई जिसे कि आपके द्वारा प्राप्त करने के 15 दिनों के पश्चात भी चैक में उल्लेखित राशि का संदाय परिवादी को नहीं किया गया।

02– प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि विवादित चेक क्र. 655988 तथा 656012 अभियुक्त हेमंत इल्वादी द्वारा परिवादी को प्रदान किया गया ।

03– परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी व परिवादी का आपसी जान–पहचान एवं मधुर संबंध स्थापित हो गया था, उक्त मधुर संबंधों के आधार पर अनावेदक ने परिवादी से मुझे दिनों के लिए उधार में 3,00,000/– रूपये उधार में दो गवाहों के समक्ष उधार लिये थे, जिसके एवज में अनावेदक ने दिनांक 28.11.2022 को पहला चेक क्र. –655988 तथा दिनांक– 06.12.2022 को दूसरा चेक क्र.– 656012 रकम 1,00,000–1,00,000/–रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा, नारायणपुर, छ.ग. का परिवादी को प्रदान किया । परिवादी ने उक्त चेक भुगतान प्राप्ति बाबत् अपने खाते वाले बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर में प्रस्तुत किये जाने पर वह चेक अनावेदक के खाते में रकम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर**"CHQ UNSUABLE"** टीप के साथ चेक अनादरित हो गया, जिसकी जानकारी परिवादी को बैंक के चेक वापसी ज्ञापन दिनांक 09.12.2022 के माध्यम से हुई। चेक अनादरण के पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.12.2022 को अनावेदक के निवास पते पर अनादरित चेक में उल्लेखित रकम की मांग नोटिस रजिस्टर्ड डाक मय पावती प्रेषित कराई । इस प्रकार नोटिस तामिली के 15 दिवस के भीतर भी आरोपी द्वारा परिवादी का पैसा नहीं लौटाया गया, जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अभियुक्त यह जानते हुये कि उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है फिर भी चैक जारी किया गया, जिसके कारण परिवादी द्वारा परिवाद पेश किया गया है।

04– अनावेदक को **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138** के अंतर्गत

आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अनावेदक ने अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण किये जाने का निवेदन किया तत्पश्चात अनावेदक का **धारा 313 दं०प्र०सं०** का परीक्षण करने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाये जाने का कथन किया गया है, बचाव साक्ष्य में प्रविष्ट कराये जाने पर अनावेदक द्वारा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया गया है ।

05– **प्रकरण के निराकरण हेतु मेरे समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं–**

01– क्या अनावेदक ने पंजाब नेशनल बैंक, नारायणपुर, छ.ग. के बचत खाते का दिनांक 28.11.2022 को पहला चेक क्र. –655988 तथा दिनांक– 06.12.2022 को दूसरा चेक क्र.– 656012 को संदाय हेतु हस्ताक्षर कर परिवादी को प्रदान किया, जिसे कि परिवादी द्वारा उक्त चेक अपने बैंक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर, छ.ग. में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.12.2022 के मेमो द्वारा **"CHQ UNSUABLE"** की टीप के साथ चेक का अनादरित कर मय ज्ञापन वापस प्राप्त हो गया, जिसकी विधिक सूचना परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.12.2022 को समयावधि के अंदर प्रेषित कराई जिसे कि आपके द्वारा प्राप्त करने के 15 दिनों के पश्चात भी चैक में उल्लेखित राशि का संदाय परिवादी को नहीं किया गया?

06– परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं हेमंत चंद्राकर परि.सा.–01 का कथन कराया गया है तथा वाद के समर्थन में दस्तावेज अनोवदक द्वारा जारी किये गये पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर का चेक क्र. 655988 दिनांक 28.11.2022 का चेक प्र०पी०–01, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर का जमा पर्ची दिनांक–08.12.2022 प्र०पी०–02, चेक रिटर्न मेमो प्र०पी०–03, पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर का चेक क्र.–656012 प्र०पी०–04, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर का जमा पर्ची दिनांक–08.12.2022 प्र०पी०–05, रिटर्न मेमो प्र०पी०–06, अधिवक्ता द्वारा पंजीकृत मांग सूचना पत्र दिनांक–

15.12.2022, भेजी गयी नोटिस प्र.पी.–07 एवं डाक रसीद प्र०पी०–08 तथा पावती प्र०पी०–09 को प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा अपने बचाव के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्वयं के समर्थन में दस्तावेज लिखित में पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट दिनांक 01.04.2020 से 31.01.2021 तक प्र.डी.–01, स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर का खाता क्र. 38003349898 स्टेटमेंट की प्रति प्र.डी.– 02, स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर का स्टेटमेंट दिनांक 26.10.2020 से 06.11.2020 तक प्र.डी.–03, सेंट्रल बैंक शाखा नारायणपुर का खाता क्र. 3308571566 का स्टेटमेंट प्र.डी.–04, ऑन लाईन पेमेंट की छायाप्रति, जिसका उल्लेख प्र.डी.–01 व 02 में है तथा हेमंत चंद्राकर को जो नगद पेमेंट 10,850/–, 10950/– रूपये तथ 42,000/– रूपये दिनांक 29.04.2019, 27.06.2019 व 26.07.2019 का है, जिसमें परिवादी हेमंत चंद्राकर के हस्ताक्षर है, जो क्रमशः प्र.डी.–05, प्र.पी.–06 एवं प्र.डी.–07 है। मैंने परिवादी को चेक की रकम पूर्ण किश्तों में अदा कर दिया है तथा ब्याज के रूप में 26,800/– रूपये प्रस्तुत किया गया है।

<u>––साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष––</u>

<u>–विचारणीय प्रश्न क्र.– 01 पर सकारण निष्कर्ष –</u>

07– उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी ने अपने समर्थन में स्वयं का परीक्षण कराया गया है तथा अपने पक्ष समर्थन में अनावेदक द्वारा जारी किये गये पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर का चेक क्र. 655988 दिनांक 28.11.2022 का चेक प्र०पी०–01, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर का जमा पर्ची दिनांक–08.12.2022 प्र०पी०–02, चेक रिटर्न मेमो प्र०पी०–03, पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर का चेक क्र.–656012 प्र०पी०–04, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर का जमा पर्ची दिनांक–08.12.2022 प्र०पी०–05, रिटर्न

मेमो प्र०पी०–06, अधिवक्ता द्वारा पंजीकृत मांग सूचना पत्र दिनांक–15.12.2022, भेजी गयी नोटिस प्र.पी.–07 एवं डाक रसीद प्र०पी०–08 तथा पावती प्र०पी०–09 को पेश किया गया है। परिवादी के द्वारा अपने शपथ पत्रीय कथन अन्तर्गत **धारा 145 परक्राम्य लिखत अधिनियम** में कथन किया गया है कि परिवादी ने अनावेदक से पूर्व जान पहचान एवं मधुर संबंध होने से अनावेदक ने मुझे कुछ दिनों के लिए उधार रकम की मांग किये जाने पर परिवादी ने 3,00,000/– रुपये प्रदान किया था, जिसे अनावेदक द्वारा जल्द ही उधार में ली गई राशि को वापस किये जाने का आश्वासन दिया गया था।

08– उक्त राशि के भुगतान के संबंध में अनावेदक हेमंत इल्वादी के द्वारा चेक क्रमांक 655988 एवं 656012 हस्ताक्षरित कर जारी किया जाना स्वीकार किया है। दिनांक 09.12.2022 चेक को **"CHQ UNSUABLE"** की टीप के साथ अनादरित कर दिया गया था, जिसके पश्चात परिवादी ने दिनांक 15.12.2022 को अभियुक्त को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था जिसकी सूचना अभियुक्त के निवास स्थान पर दिनांक 21.12.2022 की पोस्टल रसीद प्रस्तुत की गई है। उक्त नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी राशि नहीं लौटाने पर न्यायालय में परिवाद पेश किया गया, जिसका प्रमाण परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्राप्त होता है। जिससे यह भी दर्शित होता है कि परिवादी के द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत विधिक दायित्वों की पूर्ति कर ली गई है।

09– प्रकरण में बचाव के समय अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष होना एवं परिवादी द्वारा वर्ष 2019 में उक्त चेक प्रचलन में जो अमानत के तौर पर देना बताया है तथा उक्त चेक पर अधिक राशि भरकर झूठा परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कथन किया है। अभियुक्त के गुम हुए चेक का गलत तरीके से उपयोग कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना व्यक्त है।

अभियुक्त के द्वारा विवादित प्रश्नगत चेक पर अपने हस्ताक्षर से इन्कार नहीं किया गया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियुक्त को परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त होने का सुझाव दिया गया था जिस पर अभियुक्त के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान सही होना व्यक्त किया गया है। **धारा 138. खाते में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चैक का अनादरण :–"***जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिये किसी बैंकर के पास अपने द्वारा रखे गये खाते में से किसी अन्य व्यक्ति की किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चैक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चैक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किये गये करार के द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने अपराध किया है ।"* प्रकरण में संबंधित बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के मेमो द्वारा प्र०पी०–05 में उक्त चेक अभियुक्त के बैंक अकाउंट में **"CHQ UNSUABLE"** के आधार पर अनादरण किया गया है। अभियुक्त के द्वारा प्रश्नगत चेक पर अपना हस्ताक्षर होने से भी इन्कार नहीं किया गया है। तर्क के दौरान परिवादी को अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु झूठा कथन करना व्यक्त किया गया है।

10– परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 118 व 139 चेक के सम्यक धारक, प्रतिफल तथा ऋण व दायित्व के संबंध में उपधारणाओं का प्रावधान करती है जो निम्नानुसार है:–

(क) प्रतिफल के विषय में :– यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफ्लार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो, तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित परक्रामित या अंतरित की गई थी।

(ख) तारीख के बारे में – यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसे तारीख को रचित या लिखी गई थी;

(छ) यह कि धारक सम्यक–अनुक्रम धारक है–यह कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक–अनुक्रम–धारक है,

02. धारा 139 धारक के पक्ष में उपधारणा–यदि तत्प्रतिकुल साबित न हो तो ऐसी उपधारणा की जायेगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में उल्लेखित किसी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से उन्मोचित के लिये चेक प्राप्त किया था।

11– उपधारणा अंतर्गत धारा 139 सहपठित धारा 118(ए) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 सृजित हो जाने के पश्चात अभियुक्त को ऐसी उपधारणा का खण्डन करना होता है कि चेक कोई प्रतिफलार्थ अथवा ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु जारी किया गया था। उपरोक्त धारा के अन्तर्गत उपधारणा खण्डनीय उपधारणा होती है जिसे अभियुक्त सकारात्मक साक्ष्य द्वारा यह परिवादी के साक्ष्य का खण्डन कर प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है परन्तु मात्र इन्कार या निर्दोष होने का अभिवचन उपधारणा का खण्डन पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। अभियुक्त को विचारण के दौरान प्रभावशाली एवं अकाट्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करना होगा कि ऐसा कोई ऋण अथवा कोई दायित्व नहीं था।

12– आरोपी ने अपने अभियुक्त कथन में व्यक्त किया गया है कि वह निर्दोष है। उक्त चेक अभियुक्त द्वारा परिवादी को वर्ष 2019 में अमानत के तौर पर दिया गया था। उक्त चेक क्रमांक– 655988 एवं 656012 उक्त चेक को परिवादी के द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अभियुक्त हेमंत इल्वादी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका–07 में इस

सुझाव को सही होना बताया है कि परिवादी ने मेरे विरूद्ध झूठा परिवाद पैसे प्राप्त करने के पश्चात भी प्रस्तुत किया है उसके संबंध में मैने ना ही शिकायत दर्ज करवाया है और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रतिपरीक्षण की कडिका–04 में इस सुझाव को सही होना बताया है कि पंजीकृत मांग सूचना मुझे प्राप्त हुआ था जिसका कोई जवाब मेरे द्वारा नहीं दी गई थी । स्वतः कथन किया है कि व्यक्तिगत तौर पर मिलकर बताया गया था कि 2,06,000/–रूपये आपको अदा कर दिया है तथा 20,000/–रूपये ब्याज की की राशि अदा कर दूंगा । परंतु अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि केवल ब्याज की राशि अदा करना शेष है। परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत चेक वर्ष 2022 से संबंधित है, जिस पर अभियुक्त के द्वारा अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है । इस संबंध में अभियुक्त के द्वारा यह बचाव लिया जा रहा है कि उक्त चेक अमानत के तौर पर वर्ष 2019 में परिवादी को दिया था परंतु इस संबंध में अभियुक्त के द्वारा ऐसा केाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त के द्वारा वर्ष 2019 में प्रश्नगत चेक क्र. 655988 एवं 656012 परिवादी को दिया है।

13– प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत चेक दिनांक 28.11.2022, जिसमें आरोपी के द्वारा हस्ताक्षर करना बताया गया है, जिस अभियुक्त के द्वारा स्वीकार भी किया गया है।

14– प्रकरण में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि प्रश्नागत चेक प्र०पी०–01 में 1,00,000/– रुपये एवं चेक प्र.पी.–04 में 656012 अंकित है जो कि अभियुक्त हेमंत इल्वादी का चेक है, जिस पर अभियुक्त के द्वारा जो बचाव लिया गया है, वह सद्भाविक दर्शित नहीं है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य में यह अवलोकनीय है कि परिवादी द्वारा 3,00,000/–रूपये देने का कथन किया गया है जबकि प्रश्नगत चेक 2,00,000/–रूपये का दो चेक होना दर्शित है,

जिससे केवल 2,00,000/–रूपये के संबंध में साक्ष्य प्रमाणित होता है। उपरोक्त समस्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियुक्त हेमंत इल्वादी द्वारा यह दिया गया है कि उसने परिवादी को चैक क्रमांक 655988 एवं 656012 दिया था, जो कि उसके द्वारा परिवादी से लिये गये ऋण के दायित्व में दिया गया था । अभियुक्त यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसके द्वारा परिवादी को ऋण राशि लौटा दिया गया है। अभियुक्त **उपधारणा अन्तर्गत धारा 118 एवं 139 अधिनियम** का खण्डन करने में **असफल** रहा है। अतः अभियुक्त हेमंत इल्वादी के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाया जाता है। **विचारणीय प्रश्न क्र० 01** का निष्कर्ष **"हां"** में दिया जाता है।

15– फलतः परिवादी अभियुक्त हेमंत इल्वादी के संबंध में प्रमाणित करने में **सफल** रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.11.2022 को पहला चेक क्र. –655988 तथा दिनांक– 06.12.2022 को दूसरा चेक क्र.– 656012 रकम 1,00,000–1,00,000/–रूपये पंजाब नेशनल बैंक शाखा, नारायणपुर, छ.ग. को परिवादी को प्रदाय किया था, जिसे कि परिवादी द्वारा उक्त चेक अपने बैंक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर में भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर दिनांक 09.12.2022 के मेमो द्वारा **"CHQ UNSUABLE"** की टीप के साथ चेक का अनादरित कर मय ज्ञापन वापस प्राप्त हो गया, जिसकी विधिक सूचना परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.12.2022 को समयावधि के अंदर प्रेषित कराई, जिसे कि आपके द्वारा प्राप्त करने के 15 दिनों के पश्चात भी चैक में उल्लेखित राशि का संदाय परिवादी को नहीं किया गया।

16– तद्‌अनुसार अभियुक्त **हेमंत इल्वादी** को **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138** के अपराध में " **सिद्धदोष "** पाकर "**दोषसिद्ध'**' किया जाता है ।

17– दण्ड के प्रश्न को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर के लिये स्थगित किया जाता है।

(कु. प्रतिभा मरकाम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नारायणपुर.छ०ग०

18– दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुना गया। परिवादी द्वारा वर्ष 2022 से परिवाद संस्थित किया गया है। लम्बे समय से शारीरिक व मानसिक पीड़ा सहन किया है जिससे परिवादिनी को युक्ति–युक्त प्रतिकर दिलाया जाना आवश्यक है। तथ्यों को ध्यान में रखते हुये **अभियुक्त हेमंत इल्वादी** को **03 (तीन) माह** के **साधारण कारावास** और**2,00,000/–रुपये (दो लाख रुपये) प्रतिकर की राशि से दण्डित** किया जाता है। अभियुक्त प्रतिकर की राशि **निर्णय दिनांक से 60 दिवस के भीतर** परिवादी को अदा करे। उक्त प्रतिकर की **राशि 2,00,000/–रुपये (दो लाख रुपये)** अदा करने पर प्रावधान **अन्तर्गत धारा 357(3) दं०प्र०सं०** के तहत **राशि 2,00,000/–रुपये (दो लाख रुपये) परिवादी को प्रतिकर स्वरुप प्रदान किया** जावे। प्रतिकर की **राशि के व्यतिक्रम** में आरोपी **हेमंत इल्वादी को 01 (एक) माह का साधारण कारावास पृथक** से भुगताई जावे। अपील होने की दशा में उपरोक्त प्रतिकर की राशि की अदायगी माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी।

19– प्रतिकर अदा करने के व्यतिक्रम पर उपरोक्त आदेशित साधारण कारावास भुगत लेने पर भी अभियुक्त आदेशित राशि की अदायगी से उन्मोचित नहीं होगी।

20– प्रकरण में जप्तशुदा दस्तावेज अभियुक्त द्वारा जारी किये गये पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर का चेक क्र. 655988 का चेक प्र०पी०–01, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर का जमा पर्चीप्र०पी०–02, चेक रिटर्न मेमो प्र०पी०–03, पंजाब नेशनल बैंक शाखा नारायणपुर का चेक क्र.–656012 प्र०पी०–04, भारतीय स्टेट बैंक शाखा नारायणपुर का जमा

पर्ची प्र०पी०–05, रिटर्न मेमो प्र०पी०–06, अधिवक्ता द्वारा पंजीकृत मांग सूचना पत्र भेजी गयी नोटिस प्र.पी.–07 एवं डाक रसीद प्र०पी०–08 तथा पावती प्र०पी०–09 अभिलेख का भाग होने से प्रकरण में सुरक्षित रखा जावे। अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

21– अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत **धारा 437–क दं०प्र०सं०** के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत व मुचलके को छोड़कर शेष जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

22– अभियुक्त को **दं०प्र०सं० की धारा– 363** के तहत निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे ।

23– अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि हेतु **धारा– 428 दं०प्र०सं०** के अंतर्गत निरोध अवधि तालिका पृथक से तैयार की गई ।

निर्णय आज दिनांक को पदमुद्रा सहित हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित।

मेरे निर्देश पर टंकित।

PRATIBHA MARKAM
Digitally signed by PRATIBHA MARKAM
Date: 2025.04.26 17:16:00 +0530

PRATIBHA MARKAM
Digitally signed by PRATIBHA MARKAM
Date: 2025.04.26 17:16:06 +0530

आपराधिक प्रकरण क्रमांक– 19/2023
संस्थित दिनांक– 24.01.2023
हेमंत चंद्राकर विरूद्ध हेमंत इल्वादी

(निरोध.अवधि तालिका अंतर्गत धारा–428 दं.प्र.सं.)

अभियुक्त का नाम	पुलिस अभिरक्षा अवधि	न्यायिक अभिरक्षा अवधि	निरोध में बिताई गई कुल	परिणाम व समायोजित
हेमंत इल्वादी	निरंक	निरंक	निरंक	**दोषसिद्ध निरंक**

स्थानः- नारायणपुर
दिनांकः- **07.04.2025**

PRATIBHA MARKAM
Digitally signed by PRATIBHA MARKAM
Date: 2025.04.26 17:16:14 +0530